30/07/24 पत्रावली वास्ते आदेशार्थ प्रा० पत्र अन्तर्गत आदेश 07 नियम 11, सिविल प्रक्रिया संहिता पेश हुयी है। अप्रार्थी/वादी की ओर से अधि० श्री रघुवीर सिंह राठौड उपस्थित। प्रतिवादी संख्या (1) ता (3)/प्रार्थी की ओर से अधि० श्री के. आर शर्मा हाजिर।

प्रार्थी/प्रतिवादी सं। लगा 3 ने अपने प्रा० पत्र में अंकित तथ्यों को दोहराते हुए कथन किया कि विवादित भूमि खसरा नं. 112/1 रकबा 1.8084 है०, ग्राम हरनाथपुरा, पटवार हलका निवारू भू-अभिलेख निरीक्षक क्षेत्र झोटवाडा तहसील जयपुर में से वादी ने अपने हिस्से

सहायक कलेक्टर
जयपुर शहर प्रथम

फर्द अहकाम

न्यायालय ACM - I

जगदीश बनाम नाथूराम

मुकदमा संख्या / वर्ष T1 13/2024 / 20

क्र.सं.	दिनांक आज्ञा या कार्यवाही	आज्ञा विस्तृत रूप से	विशेष विवरण
	3.07.24	1/5 को जरिए इकरारनामा दिनांक 30/6/1994 को भैरव गृह निर्माण सहकारी समिति को बेचान कर दिया। वर्तमान में मौके पर आवासीय रूप से मकान बनाकर अन्य सदस्य निवास करके उपयोग उपभोग कर रहे हैं, इसलिए इस वादग्रस्त भूमि की नोमियत वर्तमान में कृषि भूमि नहीं होकर आवासीय है। इसलिए सुनवाई का क्षेत्राधिकार सिविल न्यायालय को होने के कारण दावा खारिज करने योग्य है। प्रार्थी ने यह भी कथन किया कि अप्रार्थी / वादी द्वारा स्वयं अपने हिस्से की संपूर्ण भूमि का बेचान भैरव गृह निर्माण सहकारी समिति को दिनांक 30/6/1994 को किया जा चुका है। ऐसी स्थिति में बिना वाद कारण के दावा प्रस्तुत किया गया है। अतः प्रार्थी का प्र० पत्र स्वीकार किया जाकर वाद-पत्र को निरस्त किया जावे। अप्रार्थी / वादी ने अपनी बहस	

सहायक कलेक्टर
जयपुर शहर प्रथम

क्र.सं.	दिनांक आज्ञा या कार्यवाही	आज्ञा विस्तृत रूप से	विशेष वि
	18/11/24	में जवाबी तथ्यों की पुनरावृत्ति करते हुए कथन किया कि वादी ने भूमि खसरा नं. 112 रकबा 14 बीघा 7 बिस्वा में से तकासमे के पश्चात परिवर्तित खसरा नं 112/1 रकबा 7 बीघा 3 बिस्वा में से वादी का हिस्सा 1/5 है, उसमें से वादी ने 1 बीघा भूमि का ही इकरारनामा भैरव गृह निर्माण सहकारी समिति के साथ किया है। अर्थात् वादी का उक्त विवादित भूमि में अपने 1/5 हिस्से के अनुसार 01 बीघा 8 बिस्वा भूमि बनती है और वादी ने उक्त भूमि में से 01 बीघा भूमि का ही इकरारनामा किया है। शेष 08 बिस्वा भूमि में से 04 बिस्वा भूमि में वादी का पुख्ता मकान एवं शेष 04 बिस्वा भूमि पर काश्त कर रहा है। इसलिए वादी ने नियमानुसार माननीय न्यायालय के समक्ष तकासमे का वाद प्रस्तुत किया है। उक्त विवादित भूमि राजस्व भू-अभिलेखों में कृषि-भूमि अंकित है। कृषि भूमि का विभाजन करने का क्षेत्राधिकार माननीय राजस्व न्यायालय को प्राप्त है, इसलिए प्रतिवादी सं. 1 लगा. 3 द्वारा प्रस्तुत प्र.पत्र खारिज फरमाया	

कलक्टर ... सुनवाहेर प्रथम ... ज

फर्द अहकाम

न्यायालय ACM - I

जगदीश बनाम नानूराम

मुकदमा संख्या / वर्ष TA: 13/2024 / 20

क्र.सं.	दिनांक आज्ञा या कार्यवाही	आज्ञा विस्तृत रूप से	विशेष विवरण
	[illegible]	जावे। अप्रार्थी / वादी द्वारा अपने तर्कों के समर्थन में निम्न नजीरें प्रस्तुत की - 1. RRT - 2024 (1) Page 403 2. RRT - 2024 (1) Page 631 3. RRT - 2024 (1) Page 58 4. RRT - 2024 (1) Page 63 उभयपक्ष कारान् अधिवक्तागण की बहस पर मनन करने एवं पत्रावली मय रिकॉर्ड का गहनता पूर्वक अवलोकन करने पर हम पाते हैं कि वादी ने यह वाद अंतर्गत धारा 53, 188 राज० काश्तकारी अधिनियम पेश किया है, जिसमें विवादित कृषि भूमि खसरा नम्बर 112/1, रकबा 1.8 है० में हिस्सा 1/5 यानी रकबा 1 बीघा 8 बिस्वा का खाता पृथक करवाकर Meats & Bounds के आधार पर खाता विभाजन करने की इस्तदुआ की है। वादी / अप्रार्थी ने विवादित भूमि में से अपने संपूर्ण हिस्से को भैरव गृह निर्माण सहकारी समिति को बेचान कर दिया था, जिस	

दिनांक आज्ञा या कार्यवाही	आज्ञा विस्तृत रूप से	विशेष
30/7/24	पर सागर विहार कॉलोनी विकसित कर दी गयी है। वादी/अप्रार्थी ने अपने जवाबी कथन में यह स्वीकार किया है कि दिनांक 23/6/1994 को वादी ने अपने आवासीय मकान के पास खाली जमीन को छोड़कर शेष भूमि रकबा 01 बीघा का इकरारनामा किया है, भूमि के अन्य हिस्से का बेचान नहीं किया है। वादी की शेष 8 बिस्वा भूमि रही है जिसमें से 4 बिस्वा भूमि में पुख्ता मकान बना लिया है। अतः वादी/अप्रार्थी के कथन से स्पष्ट है कि वादी ने विवादित भूमि में अधिकांश हिस्से का बेचान कर दिया है ऐसी स्थिति में विवादित भूमि के हिस्सा 1/5 का विभाजन करवाकर पृथक से खाता कायम करवाये जाने हेतु वादी को कोई वाद-कारण उत्पन्न होना सिद्ध नहीं है अतः प्रार्थी/प्रतिवादी सं. 1 लगा. 3 का प्रा. पत्र अंतर्गत आदेश 7 नियम 11 व धारा 151 सिविल प्रक्रिया संहिता स्वीकार किया जाकर, वाद-कारण के अभाव में वादी का वाद खारिज किया जाता है। वादी का वाद खारिज होने से प्रार्थना पत्र स्वतः खारिज है। पत्रावली फैसल शुमार होकर दर्ज नम्बर से कम हो। आदेश आज दिनांक 30/07/24 को खुले न्यायालय में सुनाया गया। सहायक कलेक्टर जयपुर शहर प्रथम	